



Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Choudhary Campus, Near Durga Petrol Pump, Dahod Road, Thikariya, Banswara
Email:-rorpcbbanswara2021@gmail.com www.environment.rajasthan.gov.in



No.: RPCB / RO Banswara/ PH- 28/ 801-805

Date: 13.03.2024

Registered Post/E-mail

The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Room No. 11, Aravali Bhawan,
Jhalana Institutional Area,
Jaipur, Rajasthan
Email- seiaams2021@gmail.com

Sub:- Public hearing for Environmental Clearance of Sh. Kalu Lal Meena, Quartz Cluster Mining Projects, M.L. No. 02/2020, Ref. No. 20201000019304, proposed lease area 1.1938 Hectare, proposed lease production capacity 69751 TPA (ROM) (Quartz – 62776 TPA, and waste/OB – 6975 TPA) Cluster Area 8.9281 Hectare, Cluster Production capacity 634883 TPA location: N/v– Karada Ka Wada, Tehsil–Sagwara, District–Dungarpur (Rajasthan).

Ref:- 1. District Collector, Dungarpur letter No. 1930 dated 14.12.2023.
2. Public Hearing conducted on dated 08.02.2024.

Sir,


With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 08.02.2024, 11.30 AM at Karada Ka Wada, Tehsil–Sagwara, District–Dungarpur (Rajasthan) for Environmental Clearance of Sh. Kalu Lal Meena, Quartz Cluster Mining Projects, M.L. No. 02/2020, Ref. No. 20201000019304, proposed lease area 1.1938 Hectare, proposed lease production capacity 69751 TPA (ROM) (Quartz – 62776 TPA, and waste/OB – 6975 TPA) Cluster Area 8.9281 Hectare, Cluster Production capacity 634883 TPA location: N/v– Karada Ka Wada, Tehsil–Sagwara, District–Dungarpur (Rajasthan).

A copy of attendance sheet, DVD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully,

Encl: As above.


(Ravi Chandel)
Regional Officer

Copy to:- The followings for information please.

- (1) The Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
- (2) District Collector, Dungarpur
- (3) Sub-Divisional Officer, Sagwara, District: Dungarpur
- (4) In-charge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
- (5) Shri Kalu Lal Meena S/o Sh. Shambhu Lal Meena R/o Chokdi, Post-Narani, Tehsil: Chhotisadri, District: Pratapgarh (Raj.)


Regional Officer

7c

श्री कालु लाल मीणा, क्वार्ट्ज क्लस्टर माईनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई
दिनांक 08.02.2024, प्रातः 11:30 बजे, ग्राम-कराड़ा का वाड़ा, तहसील-सागवाड़ा,

जिला-डुंगरपुर

पर्यावरणीय जन-सुनवाई के कार्यवृत्त (Minutes)

श्री कालु लाल मीणा, क्वार्ट्ज क्लस्टर माईनिंग प्रोजेक्ट, एम.एल.न. 02/2020 दिनांक 08.02.2024, समय प्रातः 11:30 बजे को आयोजित जन-सुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

स्थान:- ग्राम-कराड़ा का वाड़ा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डुंगरपुर

पर्यावरणीय जनसुनवाई में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई-

1. श्री श्रवण सिंह उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा, जिला-डुंगरपुर
2. श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा
3. श्री कन्हैया लाल पाटीदार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा

जन सुनवाई श्री श्रवण सिंह उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा एवं श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा की उपस्थिति में श्री कालु लाल मीणा, क्वार्ट्ज क्लस्टर माईनिंग प्रोजेक्ट कि खनन परियोजना, एम.एल.न. 02/2020 की जन सुनवाई दिनांक 08.02.2024 समय प्रातः 11:30 बजे स्थान-सामुदायिक भवन, कराड़ा का वाड़ा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डुंगरपुर (राजस्थान) में आयोजित हुई।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री श्रवण सिंह उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा की अध्यक्षता एवं श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा द्वारा स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जन सुनवाई के संबंध में नियमों की जानकारी देते हुए कहा की यह जन सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार दैनिक भास्कर एवं प्रातःकाल में दिनांक 31.10.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 05.02.2024 को आमजन की सूचना जन सुनवाई की तारीख, स्थान, समय के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी।

यह जनसुनवाई "श्री कालु लाल मीणा" द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 02/2020, लीज क्षेत्र-1.1938 हैक्टेयर, प्रस्तावित क्वार्टज उत्पादन क्षमता 69751 TPA) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 8.9281 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 634883 TPA (ROM) निकट ग्राम-कराड़ा का वाड़ा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डुंगरपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रु. 0.96 करोड है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/ शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
मण्डल बांसवाड़ा

2

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा


इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी. / डी.वी.डी. के अनुरूप अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को संदर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 02.12.2022 को इस कमेटी द्वारा जारी की जा चुकी है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योगो द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्ष्मता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "1" में संलग्न) है।


उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (फुलग्रो एन्वायरो सर्विसेज प्रा. लि., जयपुर) द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आइ.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "2" के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायतें रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है :-

1. महेन्द्र चरपोटा, ग्रामवासी कराडा का वाडा :- यह जो खदान होने जा रही है वो कौनसे स्थान पर है ये हम सभी गांव वालो को पता होना चाहिए। इनके द्वारा ये जानकारी चाही गई कि खदान का वास्तविक पता होना चाहिए। गांव के स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन का रास्ता कौनसा रहेगा तथा खदान पर जाने का रास्ता कौनसा रहेगा। इसके जवाब मे पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि खदान गांव से



क्षेत्रीय अधिकारी
मण्डल बांसवाड़ा

3



उपखण्ड अधिकारी
समायाज्ञ

NW दिशा में 700 मी. की दूरी पर है तथा परियोजना प्रस्तावक को खदान की वास्तविक जानकारी थी तथा साथ ही पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा यह भी बतलाया गया कि यह खातेदारी जमीन है तथा इसको खरीद कर रजिस्ट्री करवाई गई । साथ ही रास्ते को लेकर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि रास्ते से संबंध में कोई शिकायत हो तो रेवन्यू कार्यालय द्वारा इसका समाधान किया जाए ।

2. देवराम परमार , ग्रामवासी कराड़ा का वाड़ा, :- गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए । ब्लॉस्टिंग न्यून होनी चाहिए आसपास मकान है ये बात का ध्यान रखना चाहिए । रात भर ब्लॉस्टिंग होने से गांव वालों को समस्या का सामना करना पड़ता है ब्लॉस्टिंग का समय निर्धारित होना चाहिए साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिले। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे।
3. प्रवीण सिंह राव, ग्रामवासी झाकरी :- मुझे खदान चलने से कोई आपत्ति नहीं है। जनहित का ध्यान रखा जावे तथा कोई भी जनहानी ना हो।
4. महेन्द्र चरपोटा, ग्रामवासी कराड़ा का वाड़ा :- हमारा साहब से निवेदन है कि गांव में पानी की समस्या है, पशुओं के लिए भी पानी की समस्या है हमारा निवेदन है कि पानी की समस्या के समाधान के लिए खदान मालिक की तरफ से कोई मदद मिलनी चाहिए। इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि सी. एस. आर. फण्ड में जो पानी की टंकी की व्यवस्था तथा साथ ही ग्राम पंचायत या सरपंच से बात कर फण्ड दिया जाएगा ।
5. कल्पेश परमार, ग्रामवासी कराड़ा का बाड़ा, :- जनसुनवाई के बारे पूर्व में मुनादी / प्रचार प्रसार नहीं करवाया गया अतः यह मीटिंग रद्द की जाए । आज गांव में मृत्यु हो जाने के कारण यह मीटिंग नहीं करवायी जा सकती है। बाद में हमारे गाँव के और भी लोग इकट्ठे होंगे तब दुबारा मीटिंग की जाए। इसके जवाब में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि यह मीटिंग


क्षेत्रीय अधिकारी
श.प.नि.म बांसवाड़ा

4



उपसुपंड अधिकारी
सांसवाड़ा

रद्द नहीं की जा सकती है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार दैनिक भास्कर एवं प्रातःकाल में दिनांक 31.10.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 05.02.2024 को आमजन की सूचना जन सुनवाई की तारीख, स्थान, समय के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी। हम लोग आपके लिए यहां उपस्थित हुए, आप अपनी समस्या से हमें अवगत करवा सकते हैं साथ ही आप अपनी समस्या बोलकर या लिख कर हमें अवगत करवा सकते हैं।


6. महेन्द्र चरपोटा, ग्रामवासी कराड़ा का वाड़ा:- खदान चलनी चाहिए और साथ ही गांव से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आंगनवाड़ी, स्कूल के पास साधन धीमे चलने चाहिए। गांव का विकास भी होना चाहिए।

राकेश, परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधी द्वारा बतलाया गया कि जैसा कि साहब ने बताया पानी के लिए बजट का प्रावधान है। पर्यावरण के लिए बजट का प्रावधान किया गया कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा गांव के विकास में खर्चा किया जाएगा। EXPERTS से ब्लास्टिंग करवाई जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नहीं करेगे। रोड़ के लिए जो बजट का प्रावधान है वह सरपंच या स्थानीय लोगों से बात कर उसको और भी बढ़ाया जाएगा। पौधे जो बतलाए गए हैं वो लगवाए जाएंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि परियोजना के प्रारम्भ होने पर 2 प्रतिशत बजट का प्रावधान रखा गया है जो कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खर्च किया जाएगा। यहां C.S.R में बतलाए गए कार्यों के अलावा भी स्कूल के पखों, टेबल कुर्सी को जो ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया उसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा C.S.R में जोड़ दिया जाएगा।

7. दिनेश सिंह, ग्रामवासी कराड़ा का वाड़ा :- DMFT FUND का USE यही के लिये हो।


क्षेत्रीय अधिकारी
श.प.नि.म. बांसवाड़ा

5



जयपुर डी.एम.ओ.
सम्बन्धित

8. श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि DMFT FUND से संबंधित जानकारी माईनिंग विभाग से संबंधित है।
9. महैन्द्र चरपोटा ग्रामवासी कराडा का वाडा :- विवाद की स्थिति में फैसला यही हो परियोजना प्रस्तावक मुकदमा दर्ज ना करें। अवैध खनन कि समस्या गांव मे हैं। अवैध माइनिंग पर कार्यवाही हो।
10. श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि अवैध माइनिंग की कार्यवाही माईनिंग विभाग से संबंधित है।
11. प्रवीण सिंह राव, ग्रामवासी झाकरी :- रात भर ट्रक की प्रोबलम है तेज गति से चलती है सताएँ बदल गयी ही सिस्टम बदलना चाहिए।


श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि और भी किसी को कोई प्रश्न पुछना हो तो पुछ सकते है नही तो आप सभी कि जो कम्पलेन्ट है सुन ली गई है । सभी लिखित आवेदन को प्रोसिडिंग में शामिल कर दिया जायेगा। कार्य योजना का भी आदान प्रदान किया जायेगा। कम्पनी और ग्रामवासियो में सामंजस्य बनाया जाये जिससे कि क्षेत्र का विकास हो।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा घोषणा कि गई कि जन सुनवाई आप सभी की उपस्थिति में संपन्न की जाती है।

धन्यवाद।


(रवि चंदेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा


(श्रवण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा,
जिला- डूंगरपुर
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

श्री कालु लाल मीणा, प्रस्तावित क्वार्टरज खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 02/2020, लीज क्षेत्र 1.1938 हैक्टेयर, प्रस्तावित क्वार्टरज उत्पादन क्षमता 69751 TPA) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 8.9281 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 634883 TPA (ROM) निकट ग्राम-कराड़ा का वाड़ा, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डुंगरपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 08.02.2024 को प्रातः 11:30 बजे, में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Sharad Singh Rathore	S.D.M	
2	Ravi Kumar Chandel	RO, Pollution Board, Banswara	
3	Kaurkay Lal Patidar	JEE, RO, RCB, Banswara	Kaurkay
4	Deendrasingh Chouhan	R.I	
5	Hemant Patidar	Patwari	
6	Vinod Singh Puri	Vinod Singh	
7	Kuldeep Singh Rao	UPO, Jhamchami	Kuldeep
8	Ravindra Singh Rathore	Rampura	
9	श्रीकेश परमानंद	करीस वीस	श्रीकेश परमानंद
10	जी वी	करीस वीस	जी वी
11	रविशंकर	करीस वीस	रविशंकर
12	श्रीमती/श्रीमान शंकर	करीस वीस	शंकर
13	सुनील	करीस वीस	सुनील
14	वर्तमान जी	करीस वीस	
15	कल्पेश परमानंद	करीस वीस	कल्पेश
16	सुनील		सुनील
17	राजेश सुंदरकर	उपपुल	Rajesh